कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-30.09.2024

विषयः- थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी के मुकदमे से संबंधित 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 अदद सबमर्सिबल पम्प व केबल तार बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की की रोकथाम तथा चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व में, चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-439/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1-सूरज राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासी ग्राम गोराई थाना जन्सा जनपद वाराणसी, 2-चन्दन राजभर उर्फ बच्चा पुत्र पारस राजभर निवासी ग्राम पिसौर थाना शिवपुर वाराणसी, 3-सूरज राजभर पुत्र पारस राजभर निवासी ग्राम पिसौर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी व 4-अखिलेश हाशमी पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम पुरन्दरपुर नोनखरा थाना जन्सा जनपद वाराणसी को आज दिनांक-30.09.2024 को समय करीब 03.00 बजे ग्राम पुरंदरपुर नोनखरा थाना जन्सा वाराणसी से गिरफ्तार किया गया व कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गये 01 अदद सबमर्सिबल पंप व केबल तार को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-28/9/2024 को वादी मुकदमा श्री शिव प्रसाद मिश्रा पुत्र स्व0 झरिहर मिश्र निवासी-ग्राम दानियालपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ने दिनांक-24/25.09.2024 को रात्रि में उनके घर के सामने खेत में लगा वरुना सबमर्सिबल पम्प चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर थाना शिवपुर में मु0अ0सं0-439/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 अनिल कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2),317(5) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण सूरज राजभर, चंदन राजभर उर्फ बच्चा व सूरज राजभर ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक-23/24.9.2024 को रात्रि में लगभग 00:30 बजे हम लोगों ने पिसौर देसी शराब के ठेके के सामने दानियालपुर में एक घर के पीछे से एक सबमर्सिबल व केबल तार चुराया था, जिससे हम लोगों ने इसी ऑटो से ले जाकर अपने एक दोस्त अखिलेश हाशमी को बेच दिया था।

अभियुक्त अखिलेश हाशमी ने पूछताछ करने पर बताया कि इन्हीं लोगों ने मुझे चोरी का सबमर्सिबल व केबल तार बेचा है, जिसे मैं अपने घर के बगल में एक कमरे में छिपा कर रखा हूं और मैं आप लोगों को उक्त सबमर्सिबल व केवल तार दिए दे रहा हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1-सूरज राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासी ग्राम गोराई थाना जन्सा जनपद वाराणसी, उम्र करीब 22 वर्ष।
2-चन्दन राजभर उर्फ बच्चा पुत्र पारस राजभर निवासी ग्राम पिसौर थाना शिवपुर वाराणसी, उम्र लगभग 19 वर्ष।
3-सूरज राजभर पुत्र पारस राजभर निवासी ग्राम पिसौर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 22 वर्ष।
4-अखिलेश हाशमी पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम पुरन्दरपुर नोनखरा थाना जन्सा जनपद वाराणसी, उम्र 32 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- ग्राम पुरंदरपुर नोनखरा थाना जन्सा वाराणसी से, दिनांक-30.09.2024 को समय करीब 03.00 बजे।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 अदद सबमर्सिबल पंप व केबल तार बरामद।
2- घटना मे प्रयुक्त 01 अदद ऑटो UP65 GT 0543 अंतर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1-उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2-उ0नि0 कोमल यादव थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3-का0 मनोज कुमार सिंह थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4-का0 विशाल कुमार थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5-चालक का0 राकेश कुमार थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी